राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन
2019-20

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0

1. निगम की स्थापना :

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार की वर्ष 2010–11 की बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी एवं सुदृढ बनाने हेतु राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 की दिनांक 08.12.2010 को स्थापना की गई थी।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 का रजिस्ट्रेशन दिनांक 08.12.2010 को कंपनी एक्ट की धारा 617 के अन्तर्गत किया गया है तथा रजिस्ट्रार कम्पनी मामलें, राजस्थान जयपुर से दिनांक 27.12.2010 को निगम द्वारा व्यापार प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया।

2. निगम की अंश पूँजी :

निगम की अधिकृत अंश पूँजी 100 करोड रूपये है। वर्तमान में प्रदत्त अंश पूँजी 50 करोड रूपये है। 50 करोड रूपये के अंशों में से 49.93 करोड रूपये के अंश महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम हैं तथा शेष 7.00 लाख रूपये के अंश निगम के सात सदस्यों के नाम है।

3. निगम का संचालक मण्डल :

क्र.सं.	पद नाम	संचालक मण्डल में पद
1.	शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग	निदेशक
3.	प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	निदेशक
4.	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	निदेशक
5.	रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ	निदेशक
6.	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि.	निदेशक
7.	उप शासन सचिव, वित्त (व्यय–I) विभाग	निदेशक

4. निगम के विगत चार वर्षो के वित्तीय परिणाम :

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17
1.	Profit before interest & Depreciation	944.25	1396.62	1598.07	701.72
2.	Less: interest	Nil	688.15	638.5	30.27
3.	Operational Profit/Loss	944.25	708.47	959.57	671.45
4.	Less: Depreciation	40.71	60.87	17.49	14.63
5.	Profit/Loss after interest & Depreciation	903.54	647.6	942.08	656.82
6.	Profit/Loss for appropriation	504.63	515.02	566.35	351.31

नोटः– वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के अंतिम लेखे तैयार नही हुए है, अतः वर्ष 2017–18 व 2018–19 की उपरोक्त सूचनाऐ उपलब्ध नही है।

5. <u>निगम के कार्य एवं उद्देश्य</u> :

5.1 निगम भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाव कर पूरे प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करेगा। निगम परिवहन व आपूर्ति हेतु आवश्यक निविदायें एवं ठेके आदि की कार्यवाही सम्पन्न करेगा।

5.2 राज्य के उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु निगम गैर पी.डी.एस. सामग्री, बडे निर्माताओं (Manufacturers) से क्रय कर बाजार से सस्ते दामों पर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करायेगा।

5.3 चूंकि उचित मूल्य की दुकानों पर प्रभावी आपूर्ति एवं व्यवस्था बनाना निगम का दायित्व होगा, अतः निगम तहसील स्तर पर जहॉ केन्द्रीय भण्डारण निगम या राज्य भण्डारण निगम के गोदाम उपलब्ध नही है वहॉ राशन सामग्री के भण्डारण हेतु गोदाम आदि किराये पर लेने की व्यवस्था करेगा। लेकिन जहॉ पर राज्य भण्डारण निगम किराये पर गोदाम लेकर किराये पर उपलब्ध कराने की स्थिति में होगा, वहॉ पर निगम भण्डारण हेतु स्वयं गोदाम किराये पर नहीं लेगा।

5.4 निगम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगा।

5.5 बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं जैसे दलहन, खाद्य–तेल, चीनी आदि के दाम बढने पर निगम बाजार में हस्तक्षेप कर इन उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध कराने का कार्य करेगा।

5.6 इसके साथ ही निगम उचित मूल्य की दुकानों पर राशन सामग्री के अतिरिक्त गैर पी.डी.एस. सामग्री जैसे आयोडाइज्ड नमक, चाय, वांशिग सोप, पिसे हुए मसालें आदि भी उपलब्ध कराता है ताकि आम उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुएं प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर प्राप्त हो सके।

5.7 निगम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अन्तर्गत अन्य कार्य भी करेगा।

6. निगम में स्वीकृत पदों की स्थिति :

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा दिनांक 24.11.2010 को निगम के त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचे के लिए पदों एवं सेवाओं के सृजन की स्वीकृति जारी की गई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग के आदेश दिनांक 24.11.2010, 28.06.2011, 27.12.2012 एवं 04.06.2013 के द्वारा निगम हेतु स्वीकृत/कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	कार्यालय स्तर	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	रिक्तयों के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कार्यरत कार्मिक
1.	निगम कार्यालय (मुख्यालय)	59	17	10	32
2.	जिला कार्यालय	272	229	43	43
3	तहसील स्तर	488	144	344	–

7. राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न एवं चीनी के थोक विक्रेता का कार्यः–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2010–11 की बजट घोषणा के अनुरूप निगम का गठन करते हुये भारतीय खाद्य निगम से गेहूं का उठाव कर तथा चीनी मीलों से लेवी चीनी का उठाव कर उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करने का दायित्व निगम को सौंपा गया।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा दिनांक 11.04.2011 को आदेश जारी कर राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 जयपुर को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले खाद्यान्न/चीनी के उठाव एवं वितरण के लिये सम्पूर्ण राज्य हेतु राज्य स्तरीय प्राधिकृत एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया हुआ है।

8. सार्वजनिक वितरण प्रणालीः—

i. खाद्यान्न की आपूर्तिः—

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा प्रतिमाह लगभग 2.32 लाख मैट्रिक टन गेहूं आंवटन किया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से गेहूं का उठाव कर पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराने हेतु प्रतिमाह उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करने का कार्य राजस्थान राज्य खाद्य एव ंनागरिक आपूर्ति निगम लि. के जिलों में पदस्थापित प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति के द्वारा थोक विक्रेता के रुप में किया जा रहा है। वर्तमान में चरणबद्ध रूप से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के तहत ई—निविदा आमंत्रित कर परिवहनकर्ता के माध्यम से प्रदेश के 20 जिलों में खाद्यान्न परिवहन का कार्य किया जा रहा हैं। शेष 13 जिलों में क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से खाद्यान्न आपूर्ति का कार्य कराया जा रहा है।

9. पीडीएस के अन्तर्गत चीनी का वितरण

i. संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एंव सार्वजानिक वितरण विभाग, कृषि भवन, भारत सरकार ने अपने अर्द्वशासकीय पत्र **No.2** (1)/2017-SP-I दिनांक 12. 05.2017 के द्वारा उक्त योजना को संशोधित कर ,सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अनुदानित चीनी वितरण योजना अब केवल अन्त्योदय परिवार (AAY) तक सीमित कर दी गयी है। माह अप्रैल 2017 से प्रत्येक अन्त्योदय परिवार (AAY) को 1 किलो चीनी प्रति माह उपलब्ध करवाने के दिशा निर्देश जारी किये गये है।

ii. संशोधित योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय परिवारों को 24.50 रुपये प्रतिकिलो मय 5 प्रतिशत जीएसटी निर्धारित कर वितरण किये जाने के आदेश दिनांक 29.11. 2017 को जारी किये जा चुके है।

iii. चीनी की आपूर्ति_:— जून 2013 से मार्च 2017 तक के आवंटन के विरूद्व लक्षित वर्ग (अन्त्योदय एंव बी.पी.एल) को अनुदानित चीनी उपलब्ध करवायी जा चुकी है। नई व्यवस्था के तहत अप्रैल 2017 से मार्च 2020 तक के आंवटन के विरूद्व अन्त्योदय परिवारो को अनुदानित चीनी उपलब्ध करवाने हेतु कार्यादेश जारी किये जा चुके है जिसकी आपूर्ति जारी है एवं वितरण की कार्यवाही की जा रही है ।

iv. केन्द्र सरकार का अनुदान :— मार्च ,2019 तक की चीनी आपूर्ति के विरूद्ध चीनी अनुदान के समस्त क्लेम चीनी निदेशालय भारत सरकार को भिजवाकर समस्त

अनुदान प्राप्त कर लिया गया है तथा वर्ष 2019–20 के प्रथम एवं द्वितीय तिमाही के अनुदान क्लेम चीनी निदेशालय भारत सरकार को भिजवाये गये है।

v. राज्य सरकार का अनुदानः– सितम्बर 2018 तक की अन्तर राशि के समस्त क्लेम राज्य सरकार से प्राप्त कर लिये गये है।

उक्त दरें अन्त्योदय परिवारों को आपूर्ति की जानी वाली चीनी पर प्रभावी होगी। राज्य में प्राप्त लेवी चीनी का आवंटन उठाव व वितरण का विवरण **परिशिष्ट–7** पर स्थित है।

10. गैर पीडीएस वस्तुओं का विपणन कार्य :

परिचय :–

i. राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा राज्य की समस्त उचित मूल्य दुकानों माध्यम से आम उपभोक्ताओं को दैनिक उपयोग में काम में आने वाली गुणवतापूर्ण वस्तुयें, सही वजन, किफायती एवं प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर जनसाधारण को उपलब्ध करवाने का उद्देश्य रखता है ।

ii.. वर्तमान में निगम में एक योजना विचाराधीन है जिसमें राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) द्वारा बनाये गये उत्पादों जैसे (अचार, नमकीन, पापड, मसालें, मंगोडी, चाय, अगरबत्ती, दाल, साबुन इत्यादि) को उचित मूल्य दूकानों के माध्यम से विक्रय कराया जाना है। शीघ्र ही आजीविका के क्लस्टर लेवल फैडरेशन (सीएलएफ) एवं उचित मूल्य दुकानदार के मध्य एक एम. ओ.यू. किया जावेगा एवं उत्पादों की बिक्री प्रारम्भ करा दी जावेगी।

11. अन्नपूर्णा भण्डार योजना :

i- योजना का परिचय एवं उद्देश्य :–

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सार्वजनिक–निजी सहभागिता के माध्यम से जनसाधारण को उचित मूल्य दुकानों से उच्च गुणवत्ता की मल्टीब्रॉण्ड उपभोक्ता वस्तुऍ उचित एवं प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध कराने की अवधारणा को ''अन्नपूर्णा भण्डार योजना'' के रूप में मूर्त रूप देते हुये दिनांक 31.10.2015 को प्रथम अन्नपूर्णा भण्डार का जयपुर जिले के भम्भोरी ग्राम में शुभारम्भ किया गया। जिसके माध्यम से आम उपभोक्ताओ को मल्टीब्राण्ड वस्तुऐ उचित एवं प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध करवायी गयी है। वर्ष 2019–20 में उक्त योजना के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नही की गई है।

******